(वेब साईट पर अपलोड करने बाबत)

कार्यालय सम्पदा अधिकारी कृषि विश्वविधालय, कोटा

क्रमांक :– एफ.4(58)कृ.वि.को. / निविदा / ई ओ / 2024–25 / 881 दिनांक : 18/3/2025

निविदा सूचना संख्या–17 / 2024–25

कृषि विश्वविधालय कोटा के अन्तर्गत विकास निर्माण कार्य हेतु केन्द्र एवम् राज्य के अभियांत्रिकीय विभागों में वैध पंजीकृत संवेदक जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई– टेन्डरिंग प्रकिया द्वारा ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र सं.	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू.लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा सम्बन्धित विशेष जानकारी
1	कोटा	Rennovation & Refurbishing of smart class room (Meeting hall) for Directorates(Research and Extention Education) at Agriculutre University,(Room no. W-206) Kota(ICAR)	20.00	1 माह	सम्पदा अधिकारी कृषि विश्वविद्यालय,कोटा के मोबाइल नं. 9414180016 कार्यालय फोन नं. 07442324530 ई मेल : eoaukota@aukota.org (Estate Officer Agriculture University Kota) के ICICI Bank Nayapura Kota के खाता संख्या 687801701796 (IFSC:ICIC0006878) में टेण्डर अपलोड करने से पूर्व RTGS/NEFT द्वारा जमा कराना होगा। धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई कुल अनुमानित लागत की **2 प्रतिशत** एवं निविदा शुल्क एवं आरआईएसएल शुल्क सम्पदा अधिकारी कृषि विश्वविद्यालय कोटा के पक्ष मे RTGS/NEFT द्वारा देय होगी।

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट **http://eproc.rajasthan.gov.in.. http://sppp.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर जमा कराऐं। निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन / डाउनलोड / जमा / अपलोड की अवधि **दिनांक 18.03.2025 को सांय 5.00 बजे से 22.03.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक रहेगी। ये निविदायें दिनांक 22.03.2025 को सायः 3.00 बजे खोली जावेगी।**

शर्ते–

1– निविदा हेतु पात्र संवेदको की श्रेणी :

किसी भी सीमा तक	:	एए श्रेणी, संवेदक
रूपये 300 लाख तक	:	ए श्रेणी, संवेदक
रूपये 150 लाख तक	:	बी श्रेणी, संवेदक
रूपये 50 लाख तक	:	सी श्रेणी, संवेदक
रुपये 15 लाख तक	:	डी श्रेणी, संवेदक

निविदादाताओं को अपनी पात्रता सिद्ध करने हेतु निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

1. **केन्द्र अथवा राज्य के अभियांत्रिकीय विभागों में वैध पंजीयन प्रमाण पत्र, पुनरावलोकन सहित।**
2. **जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) पंजीकरण प्रमाण पत्र**
3. **आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रतिलिपि**
4. **निविदा शुल्क एवं आरआईएसएल शुल्क की कुल एक मुश्त राशि का RTGS/NEFT की जमा रसीद**
5. **ई.पी.एफ.ओ. (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पंजीयन / लाईसेंस प्रमाण पत्र**

6. **बैक खाता विवरण मय आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि।**

2–(अ) निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :

कार्य की अनुमानित राशि (लाखों में)		निविदा शुल्क
50 लाख से कम	:	500/– रूपये
50 लाख से 150 लाख तक	:	1000/– रूपये
150 लाख से 400 लाख तक	:	2000/– रूपये

(ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदा दाताओं को निविदा शुल्क के अतिरिक्त **आरआईएसएल का शुल्क** प्रति निविदा प्रतेक संवेदक द्वारा निम्नानुसार जमा करवाना होगा **{वित्त (जीएण्डटी) विभाग, राजस्थान सरकार जयपूर के आदेश क्रमांक F.8(10)FD/SPFC/Misc/2022 Jaipur dated 27.01.2023}**

कार्य की अनुमानित राशि (लाखों में)		आरआईएसएल का शुल्क
50 लाख तक	:	500/– रूपये
50 लाख से 100 लाख तक	:	1500/– रूपये
100 लाख से 500 लाख तक	:	2000/– रूपये
500 लाख से अधिक	:	2500/– रूपये

3– धरोहर राशि (निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई कुल अनुमानित लागत की **2 प्रतिशत**) एवं निविदा शुल्क सम्पदा अधिकारी कृषि विश्वविद्यालय कोटा के पक्ष मे RTGS/NEFT द्वारा देय होगी।

4– निविदादाता द्वारा शर्ते 1, 2 एवं 3 में उपरोक्त अपलोडेड दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु सम्पदा अधिकारी कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा चाहने/मांगने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5–(अ) निविदाऐं इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में बेव साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेगी। यदि किसी कारणवर्ष उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी।

(ब) निविदा प्रपत्र अपलोड करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद एवं खुलने की दिनांक से पूर्व वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in से प्राप्त Bid Submission Confirmation निविदादाता को हमारे ई–मेल eoaukota@aukota.org पर आवश्यक रूप से Mail करना होगा। निविदा की समस्त प्रकिया ऑन लाइन होगी।

(स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाऐं नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस पर निविदाऐं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।

6–कार्यो के सम्मुख उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यालय में संवेदक द्वारा आवेदन/डाउनलोड/ जमा /अपलोड की अवधि तक किसी भी कार्य दिवस में 11:00 बजे पूर्वान्ह से 14:00 बजे अपरान्ह तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग विभिन्न कार्यो की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है।

7– निविदा कर्ता द्वारा निविदा प्रकिया में भाग लेना ही इस बात का धोतक होगा कि कार्य स्थल का निरीक्षण कर लिया गया हैं और कार्य करने हेतु कार्य स्थल बिना किसी विघ्न बाधा के उपलब्ध है।

8–निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य वचनबद्ध रहेगी । यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि बिना कोई कारण बताये जब्त कर ली जावेगी।

9–यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से सम्बन्धित कार्यालय में लेखाकार अथवा अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा एवं नियमानुसार कार्यवाही अमल में ली जायेगी।

10–राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ सेवाऐं लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।

11–किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर. पी. डब्ल्यू. ए–100 की समस्त शर्ते मान्य होगी।

12–संवेदक द्वारा उक्त कार्यो के लिए निर्धारित मशीनरी जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण–पत्र देना होगा।

13– **भवन का बिजली कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध लाइसेंस शुदा फर्म से ही करवाने की अनुमति है।**

14–कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है।

15–राशि रू 10.00 लाख से अधिक के कार्यों का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरीयड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात् सेनेटरी, इलेक्ट्रिकल, ज्वायनरी तथा पेंटिग के कार्यों का 3 वर्ष तथा स्ट्रक्चर और अन्य सिविल कार्यों का 5 वर्ष तक रहेगा। सुरक्षा राशि अनुबन्ध के क्लाज 37 (e) के अनुसार कार्य पूर्ण होने के 1 वर्ष पश्चात् प्रति वर्ष 10% लौटाई जावेगी। शेष सुरक्षा राशि सफलतापूर्वक डिफेक्ट लाईबिर्लिटी पिरीयड पूर्ण होने के पश्चात् लौटाई जावेगी।

16–कार्य के लिए अनुबन्ध लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (08.03.2017तक संशोधित) नियमानुसार होगा।

17–ई–टेन्डरिंग के लिए निविदा दाता हेतु निर्देश

अ–इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट **http://eproc.rajasthan.gov.in.**अथवा. **http://sppp.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड कर सकते है।

ब–निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है, जिन निविदा दाताओं ने दिनांक 30.09.2011 से पूर्व रजिस्ट्रेशन करवाया है, को पुनः रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है।

स–निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा एवं जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें । कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

द–ऑन लाइन निविदाऐं निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जायेगी।

य–इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।

र–कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा ।

ल–टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करे।

18– लेबर सेस की कटोती नियमानुसार की जायेगी।

19– राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा समय–समय पर किये गये संशोधन व सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम एवं विभागीय नियमावली, समय–समय पर जारी परिपत्र निविदा एवं निविदा शर्तों के अनुसार होंगे।

20– श्रीमान मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सानिवि, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.3.15 (सी) / पंजीयन नियम/ अनु.3/ डी–2028 दिनांक 14.12.2021 तथा समसंख्यक पत्रांक 2062 दिनांक 16.12. 2021 के अनुसार सानिवि में पंजीकृत संवेदकों को निविदा के साथ पुर्नरावलोकित पंजीयन की प्रति संलग्न करनी है तथा अन्य विभागों/ राज्यों में पंजीकृत संवेदकों को उनके विभाग के नियमानुसार पुनर्विलोकन (Reviewed) पंजीयन की प्रति संलग्न करनी होगी, यदि पंजीयन जारी करने वाले विभाग में पुनरावलोकन की प्रक्रिया नहीं होती हो तो, संबंधित विभाग से लिखवाकर निविदा के साथ संलग्न करें, जिसके अभाव में निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।

सम्पदा अधिकारी
कृषि विश्वविद्यालय कोटा

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है –

1. निजी सचिव माननीय कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
2. कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
5. नोटिस बोर्ड।

सम्पदा अधिकारी
कृषि विश्वविद्यालय कोटा